वसीयत एक–फायदे अनेक

निधि गर्ग
C/o पंकज गर्ग

"मैं, बनारसी दास पुत्र श्री शम्भू प्रसाद निवासी रूड़की परगना व तहसील रूड़की जिला हरिद्वार का निवासी हूँ।"

"विदित हो कि मुझ मुकिर की आयु इस समय 72 वर्ष की हो चुकी है, जिन्दगी का कोई भरोसा नहीं रहा है ना मालूम मौत किस वक्त और कहां आ जाये। मुझ मुकिर के तीन पुत्र और दो पुत्रिया हैं। जिनसे दिली मोहब्बत एवं प्यार है। पत्नी का स्वर्गवास हो चुका है। वर्तमान में मैं अपने छोटे पुत्र के साथ रह रहा हूँ। मेरे सभी पुत्र व पुत्रियां समान हैं। मेरा छोटा पुत्र मेरी खिदमत कर रहा है। मुझ मुकिर के पास एक बड़ी कोठी व बैंक में 10 लाख रूपया जमा है। जिसको मुझे विक्रय व हस्तांतरित करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है, अक्सर देखने में आया है कि साहबे जायदाद व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात उसकी जायदाद पर मुकद्दमे बाजी खड़े होकर जायदाद तबहा व बर्बाद हो जाती है और मरने वाले की आत्मा को सख्त सदमा पहुंचता है इसलिये मुझ मुकिर ने उचित समझ कर कि मैं अपनी जायदाद की वसीयत कर दूँ कि मेरी मृत्यु के पश्चात मेरी जायदाद पर मेरे वारिसान के बीच किसी प्रकार का कोई विवाद उत्पन्न ना हो, इसलिये मैं मुकिर भली–भांति सोच–समझकर बिना किसी जोर दबाव व अपनी मन बुद्धि को सही रखते हुये अपनी इच्छा से व प्रसन्नता से निम्नलिखित वसीयत करता हूं, जिसका नापनाज मेरे मरने के बाद होगा–कि कोठी मेरे तीनों पुत्रों में बराबर तकसीम की जाये, चाहे वह उसमें रहें, या उसे बेच दें, या उसका प्रयोग किसी भी प्रकार करें–व बैंक में जमा धन मेरे छोटे पुत्र को 4 लाख रूपये, उससे मुझे दिली मोहब्बत है व प्यार है। वह मेरी खिदमत कर रहा है व शेष 6 लाख रूपये मेरी दोनों बेटियों को बराबर तकसीम कर दिये जाये।

यह कि जब तक मैं जीवित रहूंगा, अपनी जायदाद व सम्पति का एक मात्र स्वामी व अधिकारी रहूंगा। मेरी मृत्यु के उपरान्त मेरे सम्पति व जायदाद के उपरोक्त मालिक होंगे। वसीयत में मिली सम्पति के समस्त अधिकार मेरे कानूनी वारिसों को प्राप्त होंगे। मेरा कोई दीगर व्यक्ति या कोई वारिस किसी प्रकार की कोई उजरदारी या दावेदारी वसीयतनामा हाजा के खिलाफ करेगा तो वह उजरदारी या दावेदारी बमुकाबले वसीयतनामा हाजा के कतई झूठी होगी और कोई उजर काबिले समात अदालत नहीं होगा यह मेरी अन्तिम वसीयत है जो कि हमेशा के लिये जायज सही व बरकार रहेगी।"

हस्ताक्षर

हमारा देश बुजुर्गो का देश है, सामानतः हमारे देश के लोग 60–70 वर्ष की आयु के बाद ही वसीयत लिखने के विषय में सोचते हैं। इसके चलते अधिकांश व्यक्तियों की मृत्यु तो बिना वसीयत लिखे हो जाती है।

एक सर्वेक्षण के दौरान आज भारत जैसे विकसित देश में 80% से अधिक लोगों की मृत्यु बिना वसीयत लिखे हो जाती है। जिसके दुष्परिणाम उनके परिवार वालों व उत्तराधिकारी को भुगतने पड़ते हैं। इस प्रक्रिया में अपार धन, श्रम व समय का व्यय होता है तथा किसी विवाद होने की स्थिति में लम्बे समय तक मुकद्दमे बाजी, मानसिक यातना व लम्बी कानूनी लड़ाई से गुजरना

पड़ता है तथा आवश्यकता पड़ने पर सम्पत्ति के विक्रय करने व अपना ही धन का भुगतान पाने में लम्बी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है।

पुस्तकालय
राष्ट्रीय जलविज्ञान संस्थान, रुड़की

वसीयत लिख कर करें बंटवारा

वसीयत लिख कर व्यक्ति न कवेल अपनी इच्छा अनुसार अपनी सम्पत्ति का बंटवारा कर सकता है बल्कि अपने उत्तराधिकारी को परिवारिक विवाद, कानूनी उलझनों व अन्य खर्चो से भी बचा सकता है।

- मानसिक रूप से स्वच्छ व 18 वर्ष आयु से अधिक उम्र का कोई भी व्यक्ति अपनी चल/अचल सम्पत्ति जीवन बीमा, अन्य धन की वसीयत कर सकता है।
- वसीयतकर्त्ता अपने जीवन काल में कितनी ही बार अपनी वसीयत बदल सकता है उसके जीवन काल की अन्तिम वसीयत ही मान्य होगी।
- जीवन काल में वसीयतकर्त्ता का मलिकाना हक, उसकी चल/अचल सम्पत्ति का उसी का रहता है, मृत्यु के उपरान्त वसीयत मान्य होती है।
- वसीयत करना, रजिस्ट्रेशन कराने हेतु बहुत जटिल या कठिन कार्य नहीं है। समान्य तौर पर रजिस्टर्ड वसीयत का खर्च मात्र 1000/– के लगभग आता है।
- वसीयत लिखते समय वसीयतकर्त्ता कुछ बातों को ध्यान में रख कर, न्याय संगत व अपने विवेक के माध्यम से, सहज तरीके से वसीयत कर सकता है।
- वसीयत करने से पूर्व व्यक्ति को अपनी सभी सम्पत्तियों और दायित्वों का ब्योरा क्रमानुसार बना लेना चाहिये, जैसे अचल सम्पत्ति (प्लाट/मकान) व चल सम्पत्ति (बैंक जमा/FD/बीमा पालिसी/सभी प्रकार का धन व सभी जिम्मेदारियां।
- वसीयतकर्त्ता अपने परिजनों व रिश्तेदारों की सूची बना ले जिन्हें वह सम्मिलित करना चाहता है।
- वसीयतकर्त्ता अपनी कौन सी सम्पत्ति, पत्नी/पुत्र/पुत्री को देना चाहता है, पहले ही निश्चित कर ले।
- वसीयतकर्त्ता को टैक्स योजना का ध्यान रखते हुये भविष्य में मिलने वाले सम्पत्ति पर जिसके नाम की है, को कर भुगतान का जोखिम न रहे।
- वसीयत स्टाम्प पेपर/लीगल पेपर पर लिखी जा सकती है जबकि वास्तविकता में ऐसा अनिवार्य नहीं है, केवल प्लेन पेपर पर भी वसीयत मान्य होती है।
- कानूनी रूप से वसीयत हस्तलिखित या टाइप हो, किसी भी रूप में लिखी जा रूकती है लेकिन वसीयत सही–सही व स्पष्ट ढंग से पढ़ी जा सके।
- वसीयत में किसी कानूनी भाषा का प्रयोग न हो। स्पष्ट भाषा का तात्पर्य है कि वसीयत लिखने वाले का उद्देश्य स्पष्ट हो व भविष्य में किसी विवाद को जन्म न दे।
- वसीयतकर्त्ता के हर पृष्ठ पर हस्ताक्षर अनिवार्य हैं। साथ ही 2 गवाह निश्चित रूप से होने चाहिये। गवाह ऐसे व्यक्ति हों उनका वसीयत हित में कोई लाभ न हो।

- यदि वसीयत रजिस्टर्ड है तो वसीयतकर्त्ता को वसीयत गुम हो जाने पर प्रतिलिपि मिल जाती है।

बैंक खाता– सरकार ने 1983 में बैंकिंग नियमों में संशोधन कर सभी प्रकार के खातों में नामिनेशन की सुविधा खाता धारकों को मुहैया कराई है। परन्तु वर्तमान में खाता धारकों को इसकी जानकारी नहीं है। वह अपने खातों में नामित व्यक्ति को नहीं चुनते, लेकिन आज नामित करना अनिवार्य है।

- एकल खाता या संयुक्त खाता के नामिनेशन फार्म DA-1 के जरिये चुना जा सकता है। एकल खाता या संयुक्त खाता धारकों की अकाल मृत्यु के उपरान्त फार्म DA-1 में अंकित नामित व्यक्ति को खाते की रकम मिलेगी।

- यदि आपने खाता खोलते समय नामिनेशन फार्म नहीं भरा है तो बाद में भी कर सकते हैं।

- यदि आप नामिनेशन के नाम में परिवर्तन करना चाहते हैं तो तुरन्त फार्म DA-3 के माध्यम से किया जा सकता है।

- यदि आप नामिनेशन रद्द करना चाहते हैं तो फार्म DA-2 के प्रयोग से नामिनेशन रद्द कर सकते हैं। नाम रद्द करते समय यह सुनिश्चित कर लें कि आप तुरन्त दूसरा DA-1 फार्म भर दें।

- सभी नामिनेशन दस्तावेज की फोटो प्रति अपने पास रखें। क्योंकि किसी भी विवाद/विशेष परिस्थिति में यह महत्वपूर्ण दस्तावेज है।

वित्तीय व्यवहार की जानकारी

वसीयत लिखने के साथ–साथ यह भी जरूरी है कि हमारे परिवार के सदस्य को हमारी सम्पत्ति व वित्तीय व्यवहार की सम्पूर्ण जानकारी उपब्लध हो, क्योंकि, महज नामिनेशन कर देने या वसीयत लिख देने से वसीयतकर्त्ता की मृत्यु के उपरान्त, वारिसों को सम्पत्ति का मालिकाना हक मिल जाना सुनिश्चित नहीं है।

मान लें किसी व्यक्ति के बैंक में एक लाख रूपये जमा है उसके परिजनों को उन रूपयों की जानकारी नहीं है। ऐसे में अचानक व्यक्ति की मृत्यु हो जाने पर, उनके द्वारा जमा राशि उसके परिवार वालों के काम नहीं आ सकेगी, क्योंकि राशि के परिपक्वता के समय, बैंक में यह राशि अनक्लेम राशि के रूप में पड़ी रहेगी व निश्चित समय सीमा के उपरान्त विविध खाते में ट्रांसफर कर दी जायेगी। गौर करने वाली महत्वपूर्ण बात यह है कि जीवन भर आपके द्वारा अर्जित जमा पूंजी महज जानकारी के अभाव में आपकी असमय मृत्यु के कारण जब आपके परिवार को रूपये की आवश्यकता होगी वह उन्हें नहीं मिल पायेंगे। इसलिये केवल वसीयत/नामिनेशन करना ही काफी नहीं है, अपनी सम्पति व वित्तीय व्यवहार की जानकारी अपने परिवार को देना आवश्यक है।

- यदि आपने वसीयत निष्पादित कर रखी है तो यह बता कर रखें कि वसीयत की मूल प्रति कहां है।

- वसीयत की फोटो कापी अपने सबसे विश्वसनीय व्यक्ति को दें।

- पावर ऑफ अटार्नी कर रखी है तो मूल प्रति कहां, किन कार्य के लिये व किसके पक्ष में है।

- जीवन बीमा पालिसी, दुघर्टना बीमा पालिसी, आदि के मूल प्रमाण पत्र, नामिनी का नाम, ऐजेंट का नाम, बीमा कार्यालय का पता फोन न. लिखकर जरूर रखें व परिपक्वता की दिनांक, मनी बैंक पालिसी का रिकार्ड आदि लिख कर रखें।

- विभिन्न योजनाओं जैसे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, NPS कार्ड, लोन आदि के दस्तावेज सुरक्षित स्थान पर रखे।

- सभी प्रकार की चल अचल सम्पत्ति, बैंक पासबुक, FD, ULIP, PPF, डिमेट, म्यूचल फण्ड, शेयर बाँड, कम्पनी जमा, उधार दी गयी रकम के पेपर, गिरवी रखा गोल्ड आदि की सम्पूर्ण जानकारी, अपने विश्वसनीय व्यक्ति को जरूर दें।

- सरकारी कर्मचारी, कारोबारी या प्राइवेट फर्म के कार्य करने वाले सभी व्यक्ति को अपना लेन–देन सेल टैक्स, इनकम टैक्स रिर्टन व अन्य दस्तावेजों का ब्योरा व कारोबार की फर्म का मालिकाना हक व देनदारी बता कर रखें।

- घर परिवार से छुपाकर किया गया वित्तीय व्यवहार डिजिटल युग में बहुत से कार्य इन्टर नेट बैंकिग ई–मेल आदि से किये जाते हैं। ऐसे सम्बन्धित पास वर्ड, कोडर्वड आदि व्यक्ति विशेष का पता होना अनिवार्य है।

- पैनकार्ड, टैक्स रिटर्न, पासपोर्ट, गाड़ी दस्तावेज, लाइसेंस, जन्म प्रमाण पत्र, वोटर कार्ड, आधार कार्ड, माता–पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र, राशन कार्ड पुराने मकान के बैनामे, मकान का नक्शा पास व अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज एक निश्चित स्थान पर रखकर फाइलिंग प्रणाली बैग में रखकर सुरिक्षत व नियोजित तरीके से रखना चाहिए।

- सारे दस्तावेजों की जानकारी को फाइलों के ऊपर या डायरी/रजिस्टर के पूर्ण विवरण एक निश्चित फारमेट में दर्ज कर समय–समय पर उनको अपडेट करना अनिवार्य है।

वसीयत न होने पर झेलनी पड़ती हैं परेशानियां–

वसीयत न होने पर व्यक्ति की इच्छा अनुसार सम्पति का बंटवारा नहीं होता बल्कि सम्पति का कानूनी बंटवारा–इन्डियन सक्शेसन एक्ट व मुस्लिम पसर्नल ला, के अन्तर्गत होता है–यदि व्यक्ति विशेष ने दो शादियां की हैं या सम्पति अपने पूवर्जो से प्राप्त की है या पत्नी के पूवर्जो से मिली है या सरकार द्वारा पट्टों पर किराये पर ली है या अन्य स्रोत से मिली है तो ऐसे में बिना वसीयत के विशेष उलझन पैदा हो जाती है।

- विशेष परिस्थिति में वसीयत न होने पर उत्तराधिकारी को संयुक्त रूप से रजामंदी से लम्बी कानूनी प्रक्रिया का पालन करना पड़ता है, महत्वपूर्ण दस्तावेज "सक्शेसन प्रमाण पत्र" लेना होता है जिसके बनने में धन का व्यय, व समय लग जाता है।
- सक्शेसन प्रमाण पत्र हासिल करने के समय व धन के व्यय के साथ, कुल सम्पति के मूल्य के अनुसार 8–10 प्रतिशत कोर्ट फीस के रूप में चुकाने पड़ते हैं।

परिवार में विवाद

परिवार में सदस्यों की आर्थिक क्षमता में अन्तर होता है। कमजोर वित्तिय स्थिति वाला सदस्य या जिसने माँ–बाप की सेवा की है, कुछ अधिक हिस्सा लेने की इच्छा रखता है, पुत्रियों का भी बराबर का हिस्सा होता है। इसके चलते आपस में तकरार होने पर एक नई प्रकार की समस्या उत्पन्न हो जाती है।

- **सम्पत्ति से वंचित**–वसीयत न लिखे जाने का सबसे बड़ी हानि एसे मामलों में होती है, जब परिवार के सदस्यों को मृतक की सम्पत्ति का सही ब्योरा नहीं मिल पाता, ऐसी सम्पत्तियां उन्हें प्राप्त नहीं होती।

- **टैक्स पॉलिसी के जानकारी का अभाव**–वसीयत न होने पर उत्तराधिकारी को सम्पत्ति के मूल्य के बारे में स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाती जिसके चलते वारिसों को भारी मात्रा में टैक्स चुकाना पड़ सकता है।

शेयर ट्रांस्फर सम्बन्धी जानकारी

(A) यदि आप अपने डीमेट खाते से शेयर किसी रिश्तेदार, दोस्त का अन्य व्यक्ति को ट्रांस्फर करना चाहते हैं तो यह प्रक्रिया बहुत आसान है। हर ब्रोकर बैंक अपने डीमेट खाता धारक को डिलीवरी इस्ट्रशन बुक देते हैं। आप जिस व्यक्ति को शेयर ट्रांस्फर करना चाहते हैं, उसके लिये उसके पास DI बुक होना जरूरी है, DI बुक, चैक बुक की तरह होती है, जिससे नम्बर वाली स्लिप लगी होती है। शयेर ट्रांस्फर करने वाला व्यक्ति अपना एकाउन्ट और जिस व्यक्ति के खाते में ट्रांस्फर करने होते हैं उसके एकाउन्ट का ब्योरा भरने के बाद हस्ताक्षर करने होते। ऐसे स्टाक ट्रांस्फर को ऑफ मार्केट कहा जाता है।

(B) दूसरे केस में शेयर खाता धारक की मृत्यु होने और नामिनेशन के मामले में शेयर ट्रांस्फर के लिये नामित व्यक्ति को शेयर धारक के मृत्यु प्रमाण पत्र के साथ लिखित में DP के लिये (डिपजिटरी पर्टिसपेट) आवदेन देना होता है। साथ ही नामित व्यक्ति के खाते में शेयर ट्रांस्फर के ट्रांसमिशन फार्म भी भरना पड़ता है यह प्रक्रिया पूरी करने के उपरान्त DP, सम्बन्धि फार्म व हस्ताक्षर की प्रमाणिकता की जांच करके शेयर ट्रांस्फर हो जाते हैं।

तीसरे केस में शेयर धारक का ऐसा मामला सामने आता है कि शेयर धारक ने वारिस का नामिनेशन नहीं किया है। शेयर धारक की मृत्यु होने पर कानूनी वारिस को शेयर ट्रांस्फर कराने के लिये DP को ट्रांसमिशन फार्म भर कर देना होता है। साथ में निम्न प्रमाण पत्र भी संलग्न करने होते हैं।

(1) शेयर धारक का नोटरी द्वारा सत्यापित मृत्यु प्रमाण पत्र

(2) सक्शेसन प्रमाण पत्र (उत्तराधिकारी के सम्बन्ध में कोर्ट की कापी इस बात का उल्लेख कि मृतक व्यक्ति ने कोई वसीयत नहीं छोड़ी है।)

(3) प्रोबेट की प्रति (वसीयत नहीं होने सम्बन्धी कोर्ट की कापी)

(4) सभी दस्तावेजों की गहनता से जांच के बाद DP कानूनी वारिस के खाते में बकाया शेयर ट्रांस्फर कर देता है व मृत व्यक्ति का खाता बन्द कर देता है।

(5) म्यूचल फण्ड यूनिटों के बारे में सेबी के एक–एक रेगुलेशन 1996 के अन्तर्गत म्यूचल फण्ड को इन्वेस्टर की अपनी मौजूदा म्यूचल फण्ड यूनिटों को ट्रांस्फर करने की अनुमति दी गयी है। यूनिट होल्डर की सभी यूनिट यह इजाजत नहीं देती। यूनिट होल्डर की मृत्यु के मामले में म्यूचल फण्ड हाउस, यूनिट ट्रांस्फर करने की सुविधा देते हैं। यदि किसी यूनिट होल्डर का संयुक्त खाता है, मृत्यु हो जाती तो यूनिटें दूसरे व्यक्ति को ट्रांस्फर हो जाती हैं। परन्तु यदि एकल यूनिट होल्डर खाता है तो नामित व्यक्ति को कई प्रकार के दस्तावेज–मृत्यु प्रमाण पत्र, KYC बैंक खाता संख्या, व अन्य फार्म भरने होते हैं।

हिंदी भारत की अमरवाणी है। यह स्वतंत्रता और सम्प्रभुता की गरिमा है।

माखनलाल चतुर्वेदी